

साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज
समाहर्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

एल0ए0 वाद संख्या 48 / 2018-19 / 918 / भू0अ0, साहेबगंज दिनांक - 23.11.18

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि मौजा - सीतापहाड़, थाना - तालझारी, थाना सं0 - 46, अंचल - तालझारी, जिला-साहेबगंज में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना महाराजपुर-तालझारी-कल्याणचक-पड़रिया मोड़ तीनपहाड़ आर0ओ0बी0-बाकुडीह-शर्मापुर मोड़ पथ का चौड़ी करण एवं मजबूती करण कार्य हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किये गये है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि मौजा- सीतापहाड़, थाना-तालझारी, थाना सं0-46, अंचल-तालझारी में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश-0.758 एकड़ यानि ----- हेक्टेयर मानक माप का भूखण्ड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नालिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखण्ड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02	88	रैयती	धानी दोएम	0.056	बबलुराज मालतो वगै0 पिता - मोहन मालतो वगैरह सा0 - देह	87	Simana	Road	Simana
2	02	87	रैयती	बाड़ी दोएम	0.047	तथैव	84	88	Road	Simana
3	02	79	रैयती	बाड़ी दोएम	0.095	तथैव	78	82	Road	80
4	02	63	रैयती	बाड़ी औवल	0.038	तथैव	62	89	60	Road
5	02	62	रैयती	बाड़ी औवल	0.003	तथैव	64	63	62	Road
6	24	86	रैयती	धानी दोएम	0.033	मुन्शी मालतो वगै0 पिता - मैसा पहाड़िया वगै0 सा0 - देह	84	84	Road	84
7	24	84	रैयती	बाड़ी दोएम	0.038	तथैव	83	86	Road	84
8	24	83	रैयती	धानी दोएम	0.065	तथैव	82	84	Road	84
9	24	89	रैयती	धानी दोएम	0.196	तथैव	62	90	57	Road
10	34	82	रैयती	धानी दोएम	0.051	मंगला पहाड़िया वगै0 पिता - गंगवा पहाड़िया वगै0 सा0 - हड़ियाकोल	79	83	Road	81
11	34	64	रैयती	धानी दोएम	0.023	तथैव	65	62	62	62
12	06	91	रैयती	बाड़ी दोएम	0.047	चुडका किस्कू वगै0 पिता - सूजन किस्कू वगै0 सा0 - कटहलबाड़ी	90	93	92	Road
13	15	90	रैयती	बाड़ी दोएम	0.023	वंगरू पहाड़िया पिता - मनिया पहाड़िया वगै0 सा0 - देह	89	91	54	Road
14	08	75	रैयती	बाड़ी दोएम	0.043	मुन्शा मुर्मू वगै0 पिता - देवा मुर्मू वगै0 सा0 - कटहलबाड़ी	76	65	66	Road
कुल रकवा -					0.758					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु

अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

23/11/18
उपायुक्त,
साहेबगंज।